आदेश की [illegible] सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर आदेश पत्र	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25-01-2023	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
17-02-2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 08-04-2023 को रखें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
08-04-2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। स्मारित करें। अभिलेख दिनांक 02-05-2023 को रखें। अंचल अधिकारी मनातू	

02-05-2023 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त।

राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदीदार को नोटिस कर दस्तावेज की मांग की जा सकती है। जमाबंदीदार के नाम से नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 22-05-2023 को रखें।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

-05-2023 अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदीदार के द्वारा बंदोबस्ती वाद की प्रति एवं नक्शा की प्रति जमा की गई है। समर्पित किए गए राजस्व कागजातों की प्रति के अनुसार राजस्व उप निरीक्षक / प्रभारी C.I. एवं अंचल अमीन से प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 14-07-2023 को रखें।

-2023 अभिलेख उपस्थापित। अंचल कार्यों की व्यस्तता के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सकी। जांच प्रतिवेदन राजस्व उप निरीक्षक / C.I. एवं अंचल अमीन से प्राप्त है। अभिलेख 08-08-23 को रखें।

अंचल अधिकारी
मनातू

-08-2023 अभिलेख उपस्थापित।

अंचल अधि०
मनातू

राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की पंजी 2 के पृष्ठ सं0 190/12 पर उक्त बंदोबस्ती वाद के आलोक में जमाबंदी श्री/श्रीमति राजेन्द्र साव एवं अन्य के नाम से दर्ज किया गया है। परिर्वतण के प्रधिकार कॉलम में बंदोवस्ती वाद सं0 222/1995-96 आदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर दर्ज है। उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त मामला संदेहास्पद/संदिग्ध जमाबंदी 4(H) के अंतर्गत नहीं आता है।

अतः संबंधित रैयत द्वारा प्रस्तुत दास्तावेज एवं राजस्व उप निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी महोदय

मनातू, पलामू।

विषय- अवैध/संदिग्ध जमाबंदी वाद संख्या 16/2016-17 के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सादर प्रतिवेदित करना है कि भवदीय के आदेशानुसार मौजा भैंसासूर के खाता संख्या 17 प्लॉट संख्या 290/7 रकबा 0.53ए. भूमि का स्थलीय जाँच हेतु अंचल अमीन के साथ स्थल पर पहुँचा। स्थलीय जाँच के क्रम में पाया कि उक्त भूमि राजदेव उरांव पति सहोदरी देवी वो जैनेन्द्र उरांव पति सुको देवी वगै. के दखल-कब्जे में है।

हल्का कार्यालय में उपलब्ध पंजी-2 से उक्त भूमि का मिलान करने पर पाया जो निम्नलिखित है:- मौजा- भैंसासूर पृष्ठ संख्या- 190/12

क्र.स.	रैयत का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा	अंतिम लगान वसूली
01.	राजदेव उरांव पति सहोदरी देवी	17	290/7	0.53	2002-2003 (रसीद सं०- 507271)
02.	जैनेन्द्र उरांव पति सुको देवी				
03.	विनोद उरांव पति कुनारी देवी				

पेसरान- एता उरांव।

बंदोबस्ती वाद संख्या 222/1995-96 के अनुमंडल पदाधिकारी, डाल्टनगंज के आदेशानुसार मांग खोला गया।

उक्त जमाबंदी से संबंधित प्रतिवादी से कागजातों की मांग करने पर बंदोबस्ती पर्चा, नक्सा, लगान रसीद एवं बंदोबस्ती का मूल अभिलेख का सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। इसप्रकार यह जमाबंदी उचित प्रतीत होता है। अवैध/संदिग्ध जमाबंदी के अंतर्गत नहीं आता है। इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जा सकती है

विश्वासभाजन

MKM

RDR

सेवा में,

श्री मान् अंचल अधिकारी
मनातु, पलामू।

विषय!- अवैध जमांबंदी केश नम्बर 16/2016-17 से सम्बन्धित
जाँच प्रतिवेदन का समर्पण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांगत संबंधि प्रतिवेदीत करना है कि बन्दोबस्ती केश नम्बर 222/95-96 बनाम राजदेव उराँव वो जैनेन्द्र उराँव वो बिनोद उराँव सभी के पिता रता उराँव ग्राम भैसासुर, थाना-मनातु थाना नम्बर-409 राजस्व रसीद वर्ष 2002-03 तक कायमी है। बन्दोबस्तधारी बन्दोबस्ती भूमि पर शान्ती पूर्वक दखल में हैं, बन्दोबस्तधारी से राजस्व कागजात के मांगने पर मुल अभीलेख का सच्ची प्रति लिपी का छाया प्रति बन्दोबस्ती के पर्चा एवं रसीद का छाया प्रति दिखलाते हैं। अतः आवश्यक कारवाई हेतु जाँच प्रतिवेदन सादर समर्पित।

विश्वासभाजन

[signature]

अंचल अमीन
मनातु

Digitally signed by SHEKHER VERMA
Date: 2023.10.17 15:39:35 +05:30
Location: 192.168.246.140